भाग -1

पत्रांक–2ब०/जला–01–04/2016 2120 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद्/सभी नगर पंचायत।

पटना, दिनांक– 24/4/19

विषयः– **भीषण गर्मी, लू से बचने एवं पेयजल की समस्या के निदान से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।**

प्रसंगः–

महाशय,

वर्त्तमान भीषण गर्मी के मौसम में राज्य के अधिकाँश जिलों में भू–जल स्तर में गिरावट होती है एवं गर्मी बढ़ने की स्थिति में भू–जल स्तर में और गिरावट की संभावना रहती है। शहरी क्षेत्रों में कम क्षेत्रफल में काफी जनसंख्या रहती है, जिसके कारण पेयजलापूर्ति समस्या का सर्वाधिक प्रभाव शहरी क्षेत्रों में पड़ता है। इस संबंध में पूर्व में भी सभी नगर निकायों को निदेश दिया जा चुका है, जिसकी प्रति संलग्न है।

2. **शहरी स्थानीय निकायों को जलापूर्ति की संभावित समस्या से निबटने हेतु निम्नवत निर्देश दिये जाते हैं:–**

i. नगर निकाय में सार्वजनिक जगहों पर स्थानीय शहरी निकायों द्वारा पियाऊ की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन स्थानों पर गर्म हवाओं एवं लू से बचाव से संबंधित सूचनाओं को भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि आम जन इनसे भली भाँति अवगत हो सकें।

ii. नगर निकाय क्षेत्र में खराब चापाकलों की मरम्मति युद्ध स्तर पर कराई जानी चाहिए।

iii. स्थानीय शहरी निकायों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार राज्य जल पर्षद अथवा स्थानीय शहरी निकायों द्वारा High Yield Tubewell अधिष्ठापित हैं, जिसमें जलस्तर नीचे जाने के कारण पम्पिंग में समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके संधारण का जिस विभाग का दायित्व है, उसके साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाय कि खराब पड़े High Yield Tubewell को अविलंब मरम्मति करायी जाय। आवश्यकता का आकलन करके अतिरिक्त मोटर पम्प, राईजर, पाईप इत्यादि को Spare के रूप में अवश्य रखा जाय और खराब होने की स्थिति में टीम गठित करके तुरंत मरम्मति करायी जाए। खराब होने पर Spares का अधिष्ठापन कर तुरंत चालू करने की आवश्यकता है और उसके बाद खराब Part की मरम्मति कराकर Spares के रूप में पुनः रखना चाहिए।

iv. कई स्थानों पर बुडको द्वारा जलापूर्ति की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें बोरिंग एवं नेटवर्किंग का कार्य भी हो गया है, परन्तु वाटर टावर की व्यवस्था नहीं होने के कारण अथवा

किसी अन्य कारण से चालू नहीं की जा रही है। इन स्थानों पर वैकल्पिक व्यवस्था करके, Direct Pumping के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।

v. पूर्व से निर्देशित है कि प्रत्येक शहरी स्थानीय निकायों में Contingency Plan तैयार कराया जाय, जिसमें टैंकर का Route Chart, जलस्त्रोत आदि की पहचान कर ली जाय। इस Contingency Plan को पूर्णरूपेण लागू करना आवश्यक है।

vi. टैंकर की मरम्मति भी सुनिश्चित कर ली जाय। यदि टैंकर की कमी है तो समय रहते व्यवस्था करने का भी प्रयास किया जाय।

अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में गर्मी के दिनों में नगर निकाय क्षेत्र में जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सभी वांछित तैयारी कर ली जाय तथा कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

22/4/2019

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला–01–04/2016 2120 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 24/4/19

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/4/2019

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला–01–04/2016 2120 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 24/4/19

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/4/2019

सरकार के प्रधान सचिव।